(24)

RN/12-6/R/192/96.

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल – ग्वालियर

प्रकरण क्रं0 /96 पुनरीक्षण

श्री एम०एल० यादव, अभिभाषक द्वारा आज उज्जैन कैम्प पर प्रस्तुत। 28/2/96

(1) सन्तोष अवयस्क (2) मूलचंद अवयस्क — पुत्रगण नानुराम उम्र दोनो क्रंमशः 3–4 वर्ष
संरक्षक माता विष्णुकुंवरबाई पति नानुराम जाति लोहार धंधा कृषि नि॰ ग्राम पीपलु

(3) विष्णुकुंवरबाई पति नानुराम उम्र 35 वर्ष जाति लोहार धंधा कृषि निवासी ग्राम पीपलु तहसील बड़नगर जिला – उज्जैन मध्य प्रदेश

––––– प्रार्थीगण

वि रु द्ध

(1) गोपाल पिता जोधाजी उम्र 50 वर्ष जाति माली धंधा कृषि निवासी ग्राम पीपलु तहसील बड़नगर जिला उज्जैन

––––– प्रतिप्रार्थी

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0 रा0 सं0
न्यायालय अपर आयुक्त के न्यायालीन प्रकरण क्रं0 56/95–96
द्वितीय अपील में निर्णय दिनांक 7/2/96 को प्रदानकर्ता श्री –
एस॰ सी॰ पाठक॰ के उक्त निर्णय से क्षुब्ध होकर यह पुनरीक्षण –
स्मृति पत्र पेश है :–

==========================================

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :–
======================

(1) यह कि ग्राम पीपलु तहसील बड़नगर में एक भूमि जाता भूमि सर्वे नम्बर 12/2' रकबा 0·418 आरे कागजात सरकारी में वर्ष 1987–88 एवं वर्ष 1989 अनुसार उक्त भूमि संयुक्त रूप से रणछोडलाल, गोपाल, पुना, नानुराम, के नाम से अंकित चली आ रही है उक्त भूमि का वर्तमान सर्वे नम्बर 712 रकबा 0·41 अंकित हुआ है । उक्त भूमि शामलाती व पैत्रिक होने के उपरान्त प्रतिप्रार्थी ने एक आवेदन पत्र तहसीलदार महोदय, बड़नगर के समक्ष धारा 115·116, [illegible] –लग के अन्तर्गत पेश किया जो प्रकरण क्रं0 38/अ6अ/88–89 पर दर्ज होकर दिनांक 12/4/90 को निर्णीत हुआ । उक्त तहसील प्रकरण मे कोई विज्ञप्ति जारी नही हुई नही सहकृषक को कोई सूचना दी गई उक्त तहसील आदेश की जानकारी – प्रार्थीगण को होने पर प्रार्थीगण ने अनुविभागीय अधिकारी बड़नगर के समक्ष – अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण क्रं0 4/94–95 पर दर्ज होकर दिनांक 8/9/95 को स्वीकार हुई तथा तहसील का आदेश निरस्त कर दिया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध प्रतिप्रार्थी ने योग्य अधिनस्त न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील पेश की जो दिनांक 7/2/96 को स्वीकार किये जाने से क्षुब्ध होकर यह पुनरीक्षण आवेदन –

––– 2 पर निरन्तर

RN/12-6/R/192/96

| | | |
|---|---|---|
| 19-1-015 | रीडर<br><br>आवेदक क्र 1 एवं 2 की संरक्षक माता आवेदिका क्र. 3 श्रीमती विष्णु बाई द्वारा यह आवेदन प्रस्तुत कर प्रार्थना की आगे न ही चलाने सम्बन्धी प्रस्तुत किया गया।<br><br>आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर प्रकरण इसी स्तर पर Not Press में समाप्त किया जाता है। प्र० का० रिकार्ड हो<br><br>सदस्य | विष्णुबाई<br><br>मूलचन्द |